

## नगर निगम कार्यालय, मुंगेर ।

## बन्दोबस्ती आम सूचना-२०१७-१८

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर निगम, मुंगेर के निम्नलिखित सैरातों का वर्ष २०१७-१८ के दिनांक- ०१/०४/२०१७ से ३१/०३/२०१८ (एक वर्ष) तक के लिए खुली डाक द्वारा सैरातों के सामने अंकित (क) तिथि ०१/०३/२०१७ को समय-१२.३० बजे अपराह्न में नगर निगम कार्यालय के सभामवन में खुली डाक द्वारा बन्दोबस्ती की जाएगी। अपरिहार्य कारण बश उक्त निर्धारित तिथि को बन्दोबस्ती नहीं होने पर सैरातों के सामने अंकित अनुवर्ती तिथि क्रमशः ख एवं ग को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर बन्दोबस्ती की कार्यवाई की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर सार्वजनिक डाक में भाग ले सकते हैं।

क्रमांक	परिसम्पत्ति का विवरणी	सुरक्षित जमा राशि	जमानत राशि	बन्दोबस्ती की तिथि एवं समय
१	पूर्वी किला गेट शौचालय	२,८५,६००-००	१,१४,२४०-००	क)दिनांक- ०१/०३/२०१७ अपराह्न १२.३० बजे
२	अस्पताल रोड शौचालय	१,२३,३७०.००	४९,३४८.००	अनुवर्ती तिथि-
३	विश्वास बोर्ड द्वारा हस्तांतरित शौचालय के अंतर्गत टैक्सी स्टैण्ड शौचालय का डाक	८५,२५५.००	३४,१०२.००	(ख)दिनांक-०३ /०३/२०१७ अपराह्न १२.३० बजे
४	राजा बाजार सब्जी मार्केट (पक्का स्टॉल एवं पैसेज स्टॉल को छोड़कर) एवं कौड़ा मैदान स्थित गढ़ैया परती जमीन तथा बाजार	२,९६,६२५.००	१,१८,६५०.००	(ग)दिनांक- ०८/०३ /२०१७ अपराह्न १२.३० बजे

## आवश्यक शर्तें:-

- डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को डाक बोलने के पूर्व अपना आवासीय पता अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा अद्यतन निर्गत या वोटर कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
- डाक में भाग लेने के पूर्व डाक वक्ता को सुरक्षित जमा राशि का ४० प्रतिशत जमानत की राशि नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा जो डाक समाप्ति के बाद असफल डाक वक्ताओं को जमानत की राशि वापस कर दी जाएगी, तथा सफल डाक वक्ता की जमानत की राशि डाक की बोली गई स्वीकृत राशि में समायोजित कर दिया जाएगा।
- उच्चतम डाक वक्ता को बन्दोबस्ती दी जाएगी तथा डाक समाप्ति के तुरंत बाद डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगी।
- बन्दोबस्ती स्थल/बाजार की सफाई एवं रख-रखाव की जिम्मेवारी डाकधारी की होगी।
- सभी तरह के विवादों का निपटारा स्थानीय न्यायालय स्तर से ही मान्य होगा।
- बन्दोबस्तधारी को अद्यतन श्रमकानूनों का पालन करना होगा।
- इण्डियन स्टाम्प एक्ट सिडूल-११ के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण स्वीकृत बन्दोबस्ती की राशि के ३ प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा स्वीकृत बन्दोबस्तदार को करना अनिवार्य होगा।
- अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये डाक को रद्द /समाप्त करने या पुनः डाक कराने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

Kulkarni  
४-२-१७  
महापौर

नगर निगम, मुंगेर।

नगर अधिकृत,  
नगर निगम, मुंगेर।